

राजस्थान मंत्रिमण्डल की बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण नरिणय

चर्चा में क्यों?

6 जून, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कार्मिकों के हति में पदोन्नति, पेंशन, स्पेशल-पे, पदनाम के संबंध में महत्त्वपूर्ण नरिणय लिये गए।

प्रमुख बदि

- मंत्रिमण्डल ने राजस्थान सविलि सेवा (पेंशन) नयिम, 1996 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे कार्मिकों को 28 वर्ष की अर्हकारी सेवा के स्थान पर 25 वर्ष की सेवा पूरण कर सेवानवित्त होने पर ही पूरण पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- साथ ही, 75 वर्ष के पेंशनर/पारवारिक पेंशनर को 10 प्रतशित अतरिकित पेंशन भत्ता प्राप्त हो सकेगा। कार्मिक/पेंशनर की मृत्यु की दशा में उसके ववाहति नःशिक्त पुत्र/पुत्री तथा 12,500 रुपए प्रतमाह तक की आय वाले पात्र सदस्यों को भी पारवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इस संशोधन की अधसूचना दनांक 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी।
- मंत्रिमण्डल ने राजस्थान सविलि सेवा (पुनरीकषति वेतन) नयिम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे कार्मिकों के वशिष वेतन (स्पेशल-पे) में वृद्धा होगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी, जिसके अनुसार करमचारियों तथा अधिकारियों को वर्तमान में देय स्पेशल एलाउंस और स्पेशल पे में वेतन वसिंगतापरीकषण समति की अनुशंसा के अनुरूप वृद्धा किया जाना प्रस्तावति था।
- मंत्रिमण्डल ने अब कसिी भरती वर्ष में पछिड़ा वर्ग और अतापछिड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलबध नहीं होने की स्थति में इनकी रकित्तियों अनुसूचति जात एवं अनुसूचति जनजात वर्ग की तरह आगामी तीन वर्षों तक अग्रेषति करने का नरिणय लिया है। इससे इन वर्गों के अभ्यर्थियों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।
- मंत्रिमण्डल ने राजस्थान सविलि सेवा (पुनरीकषति वेतन) नयिम, 2017 की अनुसूची-5 में संशोधन करते हुए वरषिट चकितिसा अधिकारियों को पीजी डगिरी या समकक्ष डपिलोमा होने पर अग्रमि वेतन वृद्धियों का पूरण लाभ देने का नरिणय किया गया है। इसमें वरषिट चकितिसा अधिकारी से उच्च पदों के लिये अग्रमि वेतन वृद्धियों का प्रावधान होने के कारण उच्च अधिकारियों को भी लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- बैठक में राजस्थान अभयोजन सेवा (संशोधन) नयिम, 2023 का अनुमोदन करते हुए अभयोजन सेवा के अधिकारियों को एक अतरिकित पदोन्नति का अवसर देने का नरिणय किया गया है।
- राजस्थान सविलि सेवा (पुनरीकषति वेतनमान) नयिम- 1989, 1998, 2008 और 2017 में संशोधन कर कार्यप्रभारति कार्मिकों को नयिमति कार्मिकों की तर्ज पर वेतनमान एवं पदनाम देने का नरिणय किया गया है।
- मंत्रिमण्डल ने कार्मिक वभाग की अनुसूचति जात और अनुसूचति जनजात की रकित्तियों के आरक्षण के संबंध में 17.01.2013 को जारी अधसूचना में राजस्थान मत्स्य राज्य और अधीनस्थ सेवा नयिम-2012, राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भरती एवं अन्य सेवा शर्तें) नयिम-2001, राजस्थान मदरसा शकिषा सहायक अधीनस्थ सेवा नयिम-2013 और राजस्थान वदियालय सहायक अधीनस्थ सेवा नयिम-2015 को शामिल करने का नरिणय किया है।
- मंत्रिमण्डल ने आयुर्वज्जान महावदियालय दौसा का नामकरण 'पं नवल कशिोर शरमा आयुर्वज्जान महावदियालय दौसा' कये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 11 मई, 2023 को पंडति नवल कशिोर शरमा की प्रतमा के अनावरण कार्यक्रम में इस संबंध में घोषणा की थी। पंडति नवल कशिोर शरमा का राजनीति के साथ-साथ खादी उद्योग के वकिस में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।
- मंत्रिमण्डल ने वीर गुरजर वकिस एवं धर्मारथ टरस्ट, भीलवाड़ा तथा रैगर समाज, बीकानेर को भूमि आवंटति करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।